

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/204/2019/एफ0 सी0/444

दिनांक: 25/06/2020

सेवा में,

✓ अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- जनपद- उत्तरकाशी के अन्तर्गत देवीधार-धनारी-फोल्ड मोटर मार्ग से सन्तागाँव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.05 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।
(FP/UK/ROAD/31858/2018)

सन्दर्भ:-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक -
2657 / FP/UK/ ROAD/31858/2018 दिनांक 17-06-2020

महोदय,

उपरोक्त विषय पर सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 09/01/2020 का जवाब राज्य सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रेषित किया गया है। प्रस्तुत उत्तर में निम्नलिखित कमियाँ पाई गयी हैं जिसकी पूर्ति अभी भी राज्य सरकार से अपेक्षित है:-


1. बिन्दु संख्या 1-4 के प्रतिउत्तर में राज्य सरकार वन मोटर मार्ग के 1980 के पूर्व निर्मित होने के संबंध में अभिलेख एवं नक्शा प्रस्तुत करें।
2. साथ ही alternative मार्ग के संबंध में समस्त जानकारी (प्रभावित वृक्षों की संख्या, मार्ग की लंबाई, भूमि का विवरण, इज्यादि) प्रस्तुत करें। यह alternative अधिक उचित प्रतीत होता है।
3. Wildlife Management Plan should have been prepared by some expert in wildlife matters atleast not below DFO. In instant case the same has been prepared by RO. Further, the wildlife management plan is required to be approved by the CWLW.
4. The reply to point No. 06 is not satisfactory as still no comments are given against para-5.5 of SIR and the recommendation is still sketchy. In addition, DFO has not done any correction in SIR except addition of few lines in para-5.4 that too in old SIR only. State Govt. may do the needful in this regard.
5. In reply to point No. 07, muck disposal plan duly authenticated by DFO found uploaded but DFO mentioned in his SIR uploaded at para 15 in Part II that muck disposal plan is not appropriate. State Govt. may clarify this contradiction.
6. Length of cutting provided in muck disposal plan does not match with the length mentioned in the land schedule. Hence, State Govt. may submit the detailed calculation

of muck showing the length of road, width of road and cutting and swell factor taken into account.

7. In para-B 2.4 of Part I, 0.25 ha of forest land has been proposed for muck disposal whereas 2 muck disposal sites- one in forest land with an area of 0.16 ha (80m X 20 m) and second in naap land with an area of 0.09 ha (45m X 20m) are mentioned in MDP. Thus, the area of forest land proposed for muck disposal doesn't match.

यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,



(सुनी गोयल)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून।



(सुनी गोयल)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)